आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।

आदेश

09/03/2021

एस0ए0आर0 पुनरीक्षण वाद 173/08 एवं 174/08 बिनोद कुमार मुण्डा एवं मंगरा मुण्डा द्वारा श्रीमती राधा सिन्हा, राम लखन सिंह, राम बाबू प्रसद व अन्य के विरूद्ध दायर किये गये थे जिसमें एस0ए0आर0 अपील 24R-15/08-09, 52R-15/08-09 तथा 86R-15/07-08 में अपर समाहर्त्ता न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी गयी थी। क्योकि इन दोनों वाद में आवेदक एवं विपक्षी एक ही है तथा भूमि भी एक ही खाते की है। अतः उभय पक्षों की सहमति से दोनों वादो की सुनावाई एक साथ की गयी।

इन दोनों वाद में ग्राम कोकर, खाता नं0 20 के प्लॉट नं0 293 में अवस्थित तीन प्लॉट का विषय सन्निहित है।

आवेदकों का दावा है कि प्रश्नगत भूमि उनकी खतियानी भूमि है। जिससे विनियम पदाधिकारी द्वारा भू–वापसी का आदेश पारित किया गया था उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी के द्वारा दायर अपील को अपर समाहर्त्ता द्वारा मान्य कर दिया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पूर्व में दायर एस0ए0आर0 वाद संख्या 126/1991 लुमका मुण्डा बनाम राजेन्द्र यादव में पारित आदेश के आधार पर इसे Res-Judicata का मामला माना है। आदिवासी भूमि हस्तांतरण के मामले में उपायुक्त द्वारा अनुमति आवश्यक है जो विपक्षियों के द्वारा प्राप्त नहीं कि गयी है। प्रश्नगत भूमि को गलत तरीके से छप्पर बंदी भूमि घोषित किया गया है।

विपक्षियों के तरफ से कहा गया कि प्रश्नगत भूमि, कृषि भूमि नही है तथा निबंधित केवाला द्वारा खतियानी रयैतों से भूमि मो0 रफिक को बिक्री कर दी गयी। उक्त भूमि का नामान्तरण वाद संख्या 446R27/61-62 द्वारा स्वीकृत हुआ तथा लगान रसीद निर्गत होते रही। इसके पश्चात उक्त भूमि अन्य व्यक्तियों के द्वारा निबंधित बिक्री केवाला से कय कि गयी तथा प्रत्येक बार उक्त भूमि का नामान्तरण भी विधिवत स्वीकृत होता रहा। भूमि वापसी का

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	आवेदन 2005 में दिया गया है जो स्पष्टता प्रथत हस्तांतरण के लगभग 44 वर्षो के बाद दायर किया गया है। अतः यह मामला कालवाधित भी है। वर्णित परिस्थिति में इस अपील आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। उभय पक्षो के तरफ से लिखित बहस तथा कागजात दायर किये गये है। सूनवाई के दौरान आवेदको के तरफ से कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि का हस्तातंरण छल–कपट से किया गया है। अतः छल–कपट से किया गया कोई हस्तांतरण कानून वैध नही है। प्रश्नगत भूमि की अवैध दखल 1991 में की गयी है अतः यह विषय समय सीमा के भितर है। सह हिस्सेदारो के लिए Res-Judicata लागू नही होता है। भूमि को छप्पर बंदी घोषित करने के लिए निर्धारित प्रकिया का पालन नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा यह भी कहा गया की संरचनाओं का भूगतान करने के लिए वे तैयार है। विपक्षी के तरफ से कहा गया कि प्रश्नगत भूमि का प्रत्येक बार निबंधित केवाला के माध्यम से हस्तांतरण किया गया है। तथा प्रत्येक बार नामान्तरण एवं शुद्धि पत्र भी निर्गत है। अंचल कार्यालय द्वारा विपक्षियों के नाम से लगान रसीद भी जारी कि जा रही है। उक्त भूमि पर मकान अवस्थित है। जिसका रॉची नगर निगम द्वारा होलडिंग टैक्स भी नियमित रूप से वसूल किया जा रहा है। उक्त निबंधित केवाला में होलडिंग संख्या 2/116 भी दर्ज है। अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 1961 में हस्तांतरण के पश्चात् 1962, 1973 तथा 1982 में प्रश्नगत भूमि के हस्तांतरण हुए तथा प्रत्येक बार नामांतरण भी होता गया। यह आश्चर्यजनक है कि इतने बार दाखिल–खारिज के समय कभी भी आवेदको के तरफ से आपत्ति नही की गयी न तो नामांतरण आदेश को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गयी। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि से आवेदको को लम्बे समय तक कोई सरोकार नही रहा है। 1961 में प्रथम हस्तांतरण के पश्चात वर्ष 2005 में भूमि वापसी का दावा किया गया है। 44 वर्षो के पश्चात भूमि वापसी का दावा	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	निश्चित रूप से कालबाधित माना जायेगा। यह भी विचारणीय है कि पूर्व में इसी भूमि पर लुमटा मुण्डा द्वारा भू–वापसी वाद दायर किया गया था जो दिनांक 04.09.1995 को खारिज हो चूका है। इस आदेश के विरूद्ध एस0ए0आर0 अपील 9R-15/95-96 दिनांक 27.08.1998 को अस्वीकृत हो चूकी है। इस प्रकार यह आवेदन निश्चित रूप से Res-Judicata से प्रभावित होता है। प्रत्येक बार खतियानी रैयत के अलग–अगल वंशजो के द्वारा भूमि वापसी की आवेदन अलग–अलग आवेदन नही माने जा सकते यदि यह आवेदन एक ही भूमि से संबंधित है। विपक्षी द्वारा न्यायालय में सुनवाई के दौरान छल–प्रपंच से भूमि हस्तांतरण एवं 1991 में बेदखल का दावा किया गया है, किन्तु यह छल–प्रपंच अथवा बेदखली किस तरह से अथवा किसके द्वारा कि गयी यह नहीं बताया गया है। आवेदक स्वंय भूमि पर अवस्थित संरचना का भूगतान करने का भी दावा कर रहे है, जो यह स्पष्ट करता है कि आवेदक प्रश्नगत भूमि पर संरचनॉए होने की भी पूरी जानकारी है। अपीलीय न्यायालय द्वारा इन सभी बिन्दुओ पर विचार करते हुए अपील आवेदन को मान्य किया गया था। प्रश्नगत भूमि वापसी का दावा निश्चित रूप से कालबाधित है तथा Res-Judicata से भी प्रभावित है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नही है। अतः यह पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित। आयुक्त। आयुक्त।	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.08.08 15:37:24 +05:30
Location: 192.168.1.40